

क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर

कुछ राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश ने [क्रि-मैक/Cri-MAC \(Crime Multi Agency Centre\)](#) प्लेटफॉर्म पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।

- पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मजोरम, मणिपुर, नगालैंड और सकिक्मि एवं केंद्रशासित प्रदेश दादरा, नगर हवेली और दमन एवं दीव ने एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।
- दिल्ली, असम और हरियाणा ने पोर्टल पर सबसे ज़्यादा अलर्ट अपलोड किये हैं।

क्रि-मैक/Cri-MAC:

- क्रि-मैक को वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा लॉन्च किया गया था, जो [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो \(NCRB\)](#) द्वारा संचालित किया जाता है।
- इसे विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने एवं उनके बीच सूचना के नरिबाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य देश भर में अपराध की घटनाओं का जल्द पता लगाने और रोकथाम में मदद करना है।
- क्रि-मैक वास्तविक समय के आधार पर देश भर में **मानव तस्करी सहित महत्वपूर्ण अपराधों के बारे में जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान** करता है और अंतर-राज्य समन्वय को सक्षम बनाता है।
- यह अवैध तस्करी के पीड़ितों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के साथ-साथ अपराध की रोकथाम, पता लगाने एवं जाँच में भी मदद कर सकता है।

मानव तस्करी:

- **परिचय:**
 - मानव तस्करी के तहत किसी व्यक्ति से बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से कोई कार्य करवाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या बंधक बनाकर रखना जैसे कृत्य आते हैं, इन तरीकों में धमकी देना या अन्य प्रकार की जबरदस्ती भी शामिल है।
 - उत्पीड़न में शारीरिक या यौन शोषण के अन्य रूप, बलात् शर्म या सेवाएँ, दास बनाना या ज़बरन शरीर के अंग नकिलना आदि शामिल हैं।
- **भारत में प्रासंगिक कानून:**
 - **अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956** इस मुद्दे से निपटने के लिये प्रमुख कानून है।
 - भारतीय संविधान के [अनुच्छेद 23 और 24](#) (शोषण के खिलाफ अधिकार)।
 - आईपीसी में 25 धाराएँ, जैसे- 366A, 366B, 370 और 374।
 - **कशोर न्याय अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम** तथा **बाल शर्म रोकथाम अधिनियम, बंधुआ शर्म (उन्मूलन) अधिनियम** आदि।
- **मानव तस्करी से निपटने के भारत के प्रयास:**
 - जुलाई 2021 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी वरिधी वधियक [व्यक्तियों की तस्करी \(रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास\) वधियक, 2021](#) का मसौदा जारी किया।
 - भारत ने [अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध \(पलेरमो कन्वेंशन\)](#) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टिकी है, जिसमें अन्य लोगों के बीच विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और दंडित करने के लिये एक प्रोटोकॉल है।
 - भारत ने वेश्यावृत्त के लिये महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और उनका मुकाबला करने हेतु [सार्व अभासिमय](#) की पुष्टिकी है।
 - मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिये राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न नरिणियों को संप्रेषित करने और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय (MHA) में वर्ष 2006 में एंटी-ट्रेफिकिंग नोडल सेल/प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी।
 - न्यायिक संगोष्ठी: नचिली अदालत के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिये मानव तस्करी पर न्यायिक संगोष्ठी उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित की जाती है।
 - **"सवाधार गृह योजना"**, "सखी", "महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण" जैसी विभिन्न पहलें हिसा से प्रभावित महिलाओं की चित्तियों को दूर करने के लिये सहायक संस्थागत ढाँचे और तंत्र प्रदान करती हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों से भारत की नक़िटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रतिरोधी उपाय किये जाने चाहिये? (मेन्स-2018)

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/crime-multi-agency-centre>

